

रणनीतिक विलंब : केन्द्र सरकार और कॉलेजियम का रिश्ता

द हिंदू

पेपर-II (भारतीय राजव्यवस्था)

केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिया जाना कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को जल्द ही अधिसूचित कर देगी, एक स्वागतयोग्य कदम है। कॉलेजियम की सिफारिशों के प्रति अधिक उदार रहने का एक और संकेत देते हुए, उसने हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विभिन्न राज्यों के संवैधानिक प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित 70 नामों को अग्रसारित कर दिया है। जैसा कि नजर आता है, न्यायमूर्ति मृदुल की नियुक्ति को अधिसूचित किये जाने में हुई देरी की वजह राज्य सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर अपनी राय देने में समय लिया जाना था। कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश 5 जुलाई को की थी, और यह देरी काफी अजीब थी। कॉलेजियम ने मणिपुर में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम.वी. मुरलीधरन का तबादला कलकत्ता हाईकोर्ट करने की सिफारिश भी की है। कुछ दिन पहले, कॉलेजियम ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया था कि या तो उन्हें मणिपुर में बनाये रखा जाए या उन्हें उनके मूल कोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी जाए। अब यह देखा जाना है कि केंद्र उनके तबादले को अधिसूचित करने में कितना समय लेता है। न्यायमूर्ति मुरलीधरन ने ही वह आदेश पारित किया था, जिसमें मणिपुर सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। मई के शुरू में जिस जातीय हिंसा ने राज्य को हिलाकर रख दिया, उसके भड़कने की एक वजह कई लोग इस आदेश को भी मानते हैं। हालांकि, आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगायी, क्योंकि केंद्र ने अनुरोध किया था कि स्थगनादेश से तनाव और बढ़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट अपनी सिफारिशों पर केंद्र के चयनात्मक व्यवहार को लेकर मुखर रहा है। एक से ज्यादा बार भेजे गये नामों को सरकार द्वारा लौटाये जाने के उदाहरण मौजूद हैं। हाल के दिनों में, इसने दिखाया है कि वह कॉलेजियम के कुछ निर्णयों की महज अनदेखी कर वो काम कर सकती है जो वह चाहती है। मसलन, उसने न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर (अब सेवानिवृत्त) को मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव की तब तक अनदेखी की जब तक कि कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश को आखिरकार रद्द नहीं कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट में असामान्य रूप से लंबी अवधि तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति टी. राजा के मामले में, उनका तबादला राजस्थान हाईकोर्ट करने की सिफारिश को सरकार ने उनके सेवानिवृत्त होने तक अनदेखा किया। नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकार और कॉलेजियम के बीच टकराव बिल्कुल साफ है और अक्सर यह उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां बात बिगड़ जाती है। अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2021 के आदेश को प्रभावी बनाने के लिए इस प्रक्रिया को सुचारु बनाया जाए। यह आदेश कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किये गये नामों पर प्रक्रिया पूरी करने और अपने संशय प्रकट करने (अगर कोई हो) के वास्ते, सरकार के लिए एक निश्चित समयसीमा तय करता है। एक बार जब कॉलेजियम किसी सिफारिश को दोहराता है, तो उसे तीन से चार हफ्ते के अंदर लागू किया जाना चाहिए। कॉलेजियम प्रक्रिया की चाहे जो भी खामियां और नाकामियां हों, लेकिन अगर उसके किसी दोहराये गये निर्णय को सरकार के लिए बाध्यकारी माने जाने की कानूनी स्थिति कमजोर की जाती है तो यह इस संस्था के लिए शुभ संकेत नहीं होगा।

Constitutional Provisions regarding Judicial Appointments and the Evolution of the Collegium System



- **Article 124(2):** The Judges of the Supreme Court are appointed by the President. She should consult such a number of the Judges of the Supreme Court and of the High Courts in the States as she may deem necessary for the purpose.
- **Article 217:** The Judge of a High Court shall be appointed by the President in consultation with the Chief Justice of India and the Governor of the State. The Chief Justice of the High Court should also be consulted except in case of his/her own appointment.
- **First Judges Case (1981):** The SC said that consultation under Article 124 doesn't mean concurrence. The President is not bound by CJI's advice.
- **Second Judges Case (1993):** The SC overruled its previous decision and said CJI's advice is binding. The CJI is required to formulate its advice based on a collegium of judges consisting of CJI and two senior-most SC judges.
- **Third Judges Case (1998):** The SC expanded the collegium to a five-member body to include the CJI and the four senior-most judges of the court after the CJI.

Created by | ForumIAS

न्यायिक नियुक्तियों की वर्तमान व्यवस्था क्या है?

- ❖ वर्तमान में, न्यायिक नियुक्तियाँ और स्थानांतरण (उच्च न्यायापालिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय) 'कॉलेजियम प्रणाली' के माध्यम से किए जाते हैं।
- ❖ सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम 5-न्यायाधीशों का एक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं। कॉलेजियम न्यायालय में नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधीशों के नाम की अनुशंसा करता है।
- ❖ सरकार इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) जैसी एजेंसियों के माध्यम से उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जांच भी करती है। सरकार इस चयन पर आपत्ति उठा सकती है और स्पष्टीकरण मांग सकती है। सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। हालाँकि, यदि सिफारिशें दोहराई जाती हैं, तो सरकार को उन्हें (एससी निर्णय) स्वीकार करना होगा।
- ❖ संविधान में कोलेजियम सिस्टम का जिक्र नहीं किया गया है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला के माध्यम से विकसित हुआ है। ये निर्णय हैं गुप्ता और अन्य बनाम भारत संघ, 1981 (प्रथम न्यायाधीश मामला), सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, 1993 (द्वितीय न्यायाधीश मामला) और 1998 का विशेष संदर्भ 1 (तृतीय न्यायाधीश मामला)।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : 'कॉलेजियम प्रणाली' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. न्यायिक नियुक्तियाँ 'कॉलेजियम प्रणाली' के माध्यम से किए जाते हैं।
2. न्यायिक स्थानांतरण 'कॉलेजियम प्रणाली' के माध्यम से नहीं किए जाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements in the context of 'Collegium System'-

1. Judicial appointments are made through the 'Collegium System'.
2. Judicial transfers are not done through the 'Collegium System'.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) Only 1
- (b) Only 2
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : a

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : "कॉलेजियम प्रक्रिया की चाहे जो भी खामियां और नाकामियां हों, लेकिन अगर उसके किसी दोहराये गये निर्णय को सरकार के लिए बाध्यकारी माने जाने की कानूनी स्थिति कमजोर की जाती है तो यह इस संस्था के लिए शुभ संकेत नहीं होगा।" इस कथन का विश्लेषण करें।

उत्तर का दृष्टिकोण:

- ❖ उत्तर के पहले भाग में कॉलेजियम प्रक्रिया के सबल-निर्बल पक्ष की चर्चा करें।
- ❖ दूसरे भाग में कोलेजियम और सरकार के मध्य संबंधों की चर्चा करें तथा उसके प्रभाव का वर्णन करें।
- ❖ अंत में आगे की राह दिखाते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : शकॉलेजियम प्रणालीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. न्यायिक नियुक्तियाँ शकॉलेजियम प्रणालीश के माध्यम से किए जाते हैं।
- 2- न्यायिक स्थानांतरण शकॉलेजियम प्रणालीश के माध्यम से नहीं किए जाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements in the context of 'Collegium System'-

1. Judicial appointments are made through the 'Collegium System'.
2. Judicial transfers are not done through the 'Collegium System'.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) Only 1
- (b) Only 2
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : a

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : शकॉलेजियम प्रक्रिया की चाहे जो भी खामियां और नाकामियां हों, लेकिन अगर उसके किसी दोहराये गये निर्णय को सरकार के लिए बाध्यकारी माने जाने की कानूनी स्थिति कमजोर की जाती है तो यह इस संस्था के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। इस कथन का विश्लेषण करें।

उत्तर का दृष्टिकोण:

उत्तर के पहले भाग में कालेजियम प्रक्रिया के सबल-निर्बल पक्ष की चर्चा करें।

दूसरे भाग में कालेजियम और सरकार के मध्य संबंधों की चर्चा करें तथा उसके प्रभाव का वर्णन करें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।